कार्यालय अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/वृहत्तर पी0 संशो0/ —— /2020 दिनांक नवम्बर 03,2020.

संशोधन आदेश

मुख्यालय के आदेांक–1641/2020 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा दिनांक 19.11.2020 को मुख्यालय पर वृहत्तर पीठ से संबंधित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु वृहत्तर पीठ का गठन किया गया था, जिसमें मेरे साथ श्री विनय सिंह,न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम,लखनऊ, श्री राजेश कुमार जैन,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–द्वितीय,लखनऊ,श्री अजीत कुमार शुक्ला,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–3, लखनऊ एवं श्री सुनीत चन्द्रा,न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम,नोएडा को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

श्री अजीत कुमार शुक्ला,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–3,लखनऊ द्वारा पत्रांक–250/2020 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह दीपावली के अवकाश में अपने गृह जनपद मेरठ जायेगें तथा दिनांक 17.11.2020 से 19.11.2020 तक अवकाश पर रहेगें। ऐसी स्थिति में दिनांक 19.11.2020 को गठित वृहत्तर पीठ में श्री शुक्ला का सम्मिलित होना संभव नहीं है। अतः उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वृहत्तर पीठ हेतु नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री अजीत कुमार शुक्ला,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–3,लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–250/2020 दिनांक 03.11.2020 पर विचारोपरान्त उनके स्थान पर डा0 बुद्धेशमणि,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–फैजाबाद को दिनांक 19.11.2020 के लिए गठित वृहत्तर पीठ में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित किया जाये।

ह0–3.11.2020
(महताब अहमद)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या– वा0क0अधि0/वृहत्तर पी0 संशो0/1668/2020 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम,लखनऊ।
2–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–द्वितीय,लखनऊ।
3–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–तृतीय,लखनऊ।
4–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम,नोएडा।
5–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–फैजाबाद।
6–कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
7–राज्य प्रतिनिधि सम्बद्ध पूर्ण पीठ/वृहत्तर पीठ,लखनऊ।
8–प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर मुख्यालय।
9–संबधित अधिवक्ता संघस के अध्यक्ष/सचिव।

03.11.2020

प्र0निबंधक
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।